

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 208]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 24 मई 2016—ज्येष्ठ 3, शक 1938

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 मई 2016

क्रमांक 01/चार/रा. स. चु./2016/1374. — राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव-2016 हेतु भारत निर्वाचन आयोग, नई-दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 318/रा. स./2/2016 (1), दिनांक 24 मई, 2016 एवं अधिसूचना संख्या 318/रा. स./2/2016 (2), दिनांक 24 मई, 2016 एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

हस्ता./-
(निधि छिब्बर)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 24 मई, 2016— ज्येष्ठ 3, 1938 (शक)

अधिसूचना

सं. 318/रा.स./2/2016 (1).— यत्., भारत के राष्ट्रपति ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अधीन जारी और तारीख 24 मई, 2016 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट राज्यों की विधान सभा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा की है कि वे उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में राज्यों के सामने विनिर्दिष्ट संख्या में सदस्य निर्वाचित कर दे :

सारणी

राज्य (1)	निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या (2)
आंध्र प्रदेश	4
तेलंगाना	2
छत्तीसगढ़	2
मध्य प्रदेश	3
तमिल नाडू	6
कर्नाटक	4
ओडिशा	3
महाराष्ट्र	6
पंजाब	2
राजस्थान	4
उत्तर प्रदेश	11
उत्तराखण्ड	1
बिहार	5
झारखण्ड	2
हरियाणा	2

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा -

(अ) उक्त निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित निर्धारित करता है :-

- (क) नाम निर्देशित करने के अन्तिम तारीख - 31 मई, 2016 (मंगलवार)
- (ख) नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख - 01 जून, 2016 (बुधवार)
- (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख - 03 जून, 2016 (शुक्रवार)
- (घ) वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा - 11 जून, 2016 (शनिवार)
- (ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा - 13 जून, 2016 (सोमवार), और

(आ) 9.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान होगा.

आदेश से,

हस्ता./-

(के. अजय कुमार)
वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi -110001

New Delhi, Dated 24th May, 2016 — Jaistha 3, 1938 (Saka)

NOTIFICATION

No. 318/CS/2/2016 (1).— WHEREAS, the President of India has, by notification issued under section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and published in the Gazette of India on 24th May, 2016, been pleased to call upon the elected members of each of the Legislative Assemblies of the States, specified in column (1) of the TABLE below, to elect to the Council of States, the number of members specified against that state in column (2) of the said TABLE:

TABLE

State (1)	No. of members to be elected (2)
Andhra Pradesh	4
Telangana	2
Chhattisgarh	2
Madhya Pradesh	3
Tamil Nadu	6
Karnataka	4
Odisha	3
Maharashtra	6
Punjab	2
Rajasthan	4
Uttar Pradesh	11
Uttarakhand	1
Bihar	5
Jharkhand	2
Haryana	2
Total	57 seats

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 39 and section 56 of the said Act, the Election Commission of India hereby -

- (A) appoints, with respect to the said election :-
- (a) the 31st May, 2016 (Tuesday), as the last date for making nominations;
 - (b) the 1st June, 2016 (Wednesday), as the date for the scrutiny of the nominations;
 - (c) the 3rd June, 2016 (Friday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
 - (d) the 11th June, 2016 (Saturday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
 - (e) the 13th June, 2016 (Monday), as the date before which the election shall be completed; and
- (B) fixes the hours from 9.00 A.M. to 4.00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken in all the above mentioned States on the date specified above for the election.

By order,

Sd/-

(K. Ajaya Kumar)

Senior Principal Secretary to the
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 24 मई, 2016— ज्येष्ठ 3, 1938 (शक)

अधिसूचना

सं. 318/रा.स./2/2016 (2).— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के अनुसरण में एवं उक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य सरकार के परामर्श से 24 मई, 2016 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित आयोग की अधिसूचना के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले द्विवार्षिक निर्वाचन के संबंध में एतद्वारा-

- (i) नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में पदाभिहित करता है, तथा
- (ii) उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग ऑफिसर के कृत्यों के निष्पादन में सहायता के लिए, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त करता है;

सारणी

राज्य (1)	रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में पदाभिहित अधिकारी (2)	सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त अधिकारी (3)
आंध्र प्रदेश	प्रभारी सचिव, आंध्र प्रदेश विधान मण्डल सचिवालय	श्री पी. बालाकृष्णमचार्युलु, उप सचिव, आंध्र प्रदेश विधान मण्डल सचिवालय
तेलंगाना	सचिव, तेलंगाना विधान मण्डल सचिवालय	डा. वी. नरसिम्हा चार्युलु, संयुक्त सचिव, तेलंगाना विधान मण्डल सचिवालय
छत्तीसगढ़	प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा	श्री चन्द्र शेखर गंगराडे, अपर सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा
मध्य प्रदेश	प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा	श्री ए. पी. सिंह, सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा
तमिल नाडु	सचिव, तमिल नाडु विधान सभा	थिरू. बी. सुब्रमण्यम, उप सचिव, तमिल नाडु विधान सभा
कर्नाटक	सचिव (आई/सी), कर्नाटक विधान सभा	श्री एम. एस. कुमारस्वामी, उप सचिव, कर्नाटक विधान सभा
ओडिसा	सचिव, ओडिसा विधान सभा	श्री भवानी शंकर सेनापति, संयुक्त सचिव, ओडिसा विधान सभा
महाराष्ट्र	प्रमुख सचिव, महाराष्ट्र विधान मण्डल सचिवालय	(1) श्री सुभाषचन्द्र मायेकर, उप सचिव, महाराष्ट्र विधान मण्डल सचिवालय (2) श्री कुर्तुराज जे. कुर्दातार्कर, उप सचिव, महाराष्ट्र विधान सभा मण्डल सचिवालय
पंजाब	सचिव, पंजाब विधान सभा	अपर सचिव, पंजाब विधान सभा
राजस्थान	विशिष्ट सचिव, राजस्थान विधान सभा	श्री महेश चन्द्र शर्मा, सहायक सचिव (सामान्य), राजस्थान विधान सभा
उत्तर प्रदेश	प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश विधान सभा	श्री अशोक कुमार सिंह, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश विधान सभा

(1)	(2)	(3)
उत्तराखण्ड	सचिव, उत्तराखण्ड विधान सभा	श्री मदन सिंह कुंजवाल, संयुक्त सचिव, उत्तराखण्ड विधान सभा
बिहार	प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा	श्री पवन कुमार सिन्हा, अवर सचिव, बिहार विधान सभा
झारखण्ड	प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान सभा	श्री रंजीत कुमार, संयुक्त सचिव, झारखण्ड विधान सभा
हरियाणा	सचिव, हरियाणा विधान सभा	श्री सुभाष चन्द्र, संयुक्त सचिव, हरियाणा विधान सभा

आदेश से,

हस्ता./-

(के. अजय कुमार)
वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi -110001

New Delhi, Dated 24th May, 2016 — Jaistha 3, 1938 (Saka)

NOTIFICATION

No. 318/CS/2/2016 (2).—In pursuance of section 21, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22, of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India, in consultation with the Government of each of the States, specified in the column (1) of the TABLE below, hereby-

- designates the officer, specified in the corresponding entry in column (2) of the said TABLE to be the Returning Officer; and
- appoints the officer, specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, to be the Assistant Returning Officer to assist the Returning Officer in the performance of his function;

in respect of the biennial elections to the Council of States, to be held in that State in pursuance of the Notification of the President of India, published in the Gazette of India on 24th May, 2016 :-

TABLE

State (1)	Officer Designated as Returning Officer (2)	Officer Appointed as Assistant Returning Officer (3)
Andhra Pradesh	Secretary-In-Charge, Andhra Pradesh Legislature Secretariat	Shri P. Balakrishnamacharyulu, Deputy Secretary, Andhra Pradesh Legislature Secretariat
Telangana	Secretary, Telangana Legislature Secretariat	Dr. V. Narasimha Charyulu, Joint Secretary, Telangana Legislature Secretariat

(1)	(2)	(3)
Chhattisgarh	Principal Secretary, Chhattisgarh Vidhan Sabha	Shri Chandra Sekhar Gangrade, Additional Secretary, Chhattisgarh Vidhan Sabha
Madhya Pradesh	Principal Secretary, Madhya Pradesh Vidhan Sabha	Shri A. P. Singh, Secretary Madhya Pradesh Vidhan Sabha
Tamil Nadu	Secretary, Tamil Nadu Legislative Assembly	Thiru. B. Subramaniam, Deputy Secretary, Tamil Nadu Legislative Assembly
Karnataka	Secretary (I/C), Karnataka Legislative Assembly	Shri M. S. Kumaraswamy, Deputy Secretary, Karnataka Legislative Assembly
Odisha	Secretary, Odisha Legislative Assembly	Shri Bhawani Sankar Senapati, Joint Secretary, Odisha Legislative Assembly
Maharashtra	Principal Secretary, Maharashtra Legislature Secretariat	1. Shri Subhashchandra Mayekar, Deputy Secretary, Maharashtra Legislature Secretariat 2. Shri Kruturaj J. Kurdatarkar, Deputy Secretary, Maharashtra Legislature Secretariat
Punjab	Secretary, Punjab Vidhan Sabha Secretariat	Additional Secretary, Punjab Vidhan Sabha Secretariat
Rajasthan	Special Secretary, Rajasthan Legislative Assembly	Shri Mahesh Chandra Sharma, Assistant Secretary (General), Rajasthan Legislative Assembly
Uttar Pradesh	Principal Secretary, Uttar Pradesh Vidhan Sabha	Shri Ashok Kumar Singh, Special Secretary, Uttar Pradesh Vidhan Sabha
Uttarakhand	Secretary, Uttarakhand Vidhan Sabha	Shri Madan Singh Kunjwal, Joint Secretary, Uttarakhand Vidhan Sabha
Bihar	Secretary-In-Charge, Bihar Vidhan Sabha	Shri Pawan Kumar Sinha, Under Secretary, Bihar Vidhan Sabha
Jharkhand	Secretary-In-Charge, Jharkhand Vidhan Sabha	Shri Ranjit Kumar, Joint Secretary, Jharkhand Vidhan Sabha
Haryana	Secretary, Haryana Vidhan Sabha	Shri Subhash Chander, Joint Secretary, Haryana Vidhan Sabha

By order,

Sd/-

(K. Ajaya Kumar)

Senior Principal Secretary to the
Election Commission of India.